अध्याय - 1
प्रस्तावना

प्रस्तावना:

कोठारी आयोग की व्यापक रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति, 1968 ने संवैधानिक जनादेश को लागू करने के लिए एक प्रतिबद्धता कायम की। नीति कहती है; "14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत निर्देश सिद्धांत की प्रारंभिक पूर्ति के लिए ज़ोरदार प्रयास किए जाने चाहिए"। नीति ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूलों में अपव्यय और ठहराव को कम करने के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चा जो विद्यालय में नामांकित है, वह निर्धारित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करता है। बाद में, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 ने इस प्रतिबद्धता को दोहराया। नीति ने संकल्प किया कि "नई शिक्षा नीति विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की समस्या को हल करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और सूक्ष्म नियोजन के आधार पर सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीतियों की एक सरणी को अपनाएगी"। यह विद्यालय में बच्चों की अवधारण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। यह प्रयास पूरी तरह से गैर-औपचारिक शिक्षा के नेटवर्क के साथ समन्वित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक 11 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी बच्चों की पांच साल की स्कूली शिक्षा या इसके समकक्ष गैर-औपचारिक स्ट्रीम के माध्यम से हुई होगी। इसी तरह, 1995 तक सभी बच्चों को 14 साल तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी ।

इस संकल्प के बाद, भारत ने विश्व बैंक द्वारा आयोजित शिक्षा पर सभी के लिए विश्व सम्मेलन (ईएफए) और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों सहित कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में भाग लिया। संविधान सभा के दिनों से लेकर वर्तमान समय तक के कालानुक्रमिक घटनाओं का सावधानी पूर्वक विश्लेषण दिलचस्प तथ्यों को प्रकट करता है । हमने आंतरिक संसाधन जुटाव पर भरोसा करके शुरू किया और अब हम धीरे-धीरे विदेशी सहायता में शिफ्ट हो रहे हैं । शिक्षा से संबंधित नीति शिक्षा के लिए धन के स्रोत में इस बदलाव के साथ निकटता से जुड़ी हुई है । विशेष रूप से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को सामान्य रूप से और सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता 80 के दशक के अंत तक जारी रही यह परंतु,सभी सरकारी नीति

दस्तावेजों में असमान रूप से दोहराया गया था। इस समस्या का एक वास्तविकता हिस्सा बनाने के लिए बहुत कम किया गया था कि यह कर्तव्य लागू करने योग्य नहीं था क्योंकि यह राज्य की नीति का एक सीधा सिद्धांत था और एक मौलिक अधिकार के विपरीत है जो इसे लागू करने के लिए राज्य पर बाध्यकारी कानूनी दायित्व निभाता है।निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में निर्देशिका हैं और वे स्थिति हैं जिन्हें राज्यों कोप्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा।1992 में कि भारतीय न्यायपालिका ने मोहिनी जैन केस में मुफ्त औरअनिवार्य शिक्षा के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि संविधान के भाग III के तहत निर्देशक सिद्धांतमौलिक अधिकारों से अलग नहीं किए जा सकते। निर्देश सिद्धांतों को भाग III में पढ़ा जाना चाहिए ।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सभी नागरिकों के लाभ के लिए सभी स्तरों पर शिक्षण संस्थानों को प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के तहत था और इसलिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर राज्य के स्वामित्व या राज्य-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से बाध्यता नहीं हो सकता है। इस स्थिति ने 1993 में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और अधिक उग्र कर दिया । तब से, राज्य भर में कई सामाजिक आंदोलनों, एनजीओएस और व्यक्तियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। सरकार संविधान में संशोधन करके शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाती है। नतीजतन, तत्कालीन केंद्र सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में 83 वां संशोधन तैयारकिया और जुलाई 1997 में राज्यसभा में इसे पेश किया यह इस परिदृश्य के खिलाफ था कि सैकिया समिति का गठन किया गया था और यह दूरगामी हुई सुझाव भारत विफल हो गया है जबकि अधिकांश अन्य देशों को हासिल करने मेंकामयाब रहे हैं क्योंकि राज्य मशीनरी पर किसी भी प्रकार की बाध्यतावास्तव में सभी को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने जैसा कुछ हासिल करना है ।

यद्यपि केंद्र-राज्य समन्वय वर्षों से था, भारत की जनता निरक्षर थी क्योंकि शिक्षा की निराशाजनक स्थिति के लिए किसी भी एजेंसी को खारिज नहीं किया जा सकता था । अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं ने हमेशा शिक्षा के पहलू पर जोर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक सरकारों को कुछ भीकरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तब तक नीतिगत कागजात नहीं होंगे । इसलिए 1997 में राज्य शिक्षा मंत्रियों से युक्त सैकिया समिति ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया।

समिति ने संविधान के अनुच्छेद 21 में एक और प्रावधान को शामिल करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, अनुच्छेद 21 ए-

- राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को मुफ्त और अनिवार्यशिक्षा प्रदान करेगा। क्लॉज (1) में निर्दिष्ट मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इस तरह से लागू किया जाएगा जैसा कि राज्य कानून के निर्धारण के लिए कर सकता है।
- राज्य द्वारा बनाए गए शिक्षा संस्थानों के संबंध में या राज्य के कोष से सहायता प्राप्त नहीं करने के संबंध में राज्य मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा।

अनुच्छेद 35 को उप-खंड 1 के रूप में फिर से गिना जाएगा और निम्नलिखित को स्पष्टीकरण के बाद जोड़ा जाएगा । सक्षम विधायिका अनुच्छेद 21 ए के खंड (1) में निर्दिष्ट मुफ्त और अनिवार्यशिक्षा के अधिकार के प्रवर्तन के लिए कानून बनाएगी। संविधान (83 वां संशोधन) अधिनियम, 1997 के शुरू होने के एक वर्ष के भीतर। संविधान (83 वां संशोधन) अधिनियम, 1997 के शुरू होने से ठीक पहले किसी राज्य में शिक्षा को स्वतंत्र और अनिवार्य करने के लिए किसी भी कानून का प्रावधान। अनुच्छेद 21 ए के प्रावधान के साथ असंगत, तब तक लागू रहेगा जब तक कि सक्षम विधायिका द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता अन्य सक्षम प्राधिकारी या इस तरह के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो । यह सुझाव दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 45 को हटा दिया जाएगा क्योंकि निर्देशक सिद्धांत को अब मौलिक अधिकार बनाया जा रहा है। लेकिन कई समूहों ने इसका विरोध किया और कहा कि अनुच्छेद 45 आवश्यक था क्योंकि अनुच्छेद 21 ए केवल 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों से संबंधित था। उनका विचार था कि अनुच्छेद 45 राज्य को छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कर्तव्य नहीं देगा । 1997 संशोधन विधेयक ने इस आयु वर्ग को छोड़ दिया क्योंकि यह महसूस किया गया था कि पूर्व-विद्यालय स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम पर निर्णय लेने की तुलना में अधिक जटिल था ।

अंत में, संविधान के अनुच्छेद 51A में क्लॉज (j) के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाना था: (k) जो अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिएमाता-पिता या अभिभावक हो, या जैसा भी मामला हो, वार्ड के बीच वार्ड छह और चौदह वर्ष की आयु । इसने माता-पिता या अभिभावक पर एक दायित्व डाला, जैसा कि हो सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। यह अन्य सक्षम

प्राधिकारी या इस तरह के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो। इसने माता-पिता या अभिभावक पर एक दायित्व डाला, जैसा कि हो सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। यह प्रभाव में उन अभिभावकों को दंडित किया जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय जाने से रोका और इसके बजाय उन्हें बाल श्रम में संलग्न किया ।

1997 के विधेयक के संबंध में कुछ चिंताएँ व्यक्त की गईं। यह कहा गया था कि अनुच्छेद 21A A के संबंध में, कानून का उल्लंघन तय करने के लिए राज्यों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

यह सुझाव दिया गया था कि एक केंद्रीय कानून को तैयार किया जाना चाहिए जो मॉडल कानून के रूप में कार्य करेगा जिसके आधार पर राज्य अपने संबंधित राज्य कानून को लागू करेंगे। इसके अलावा, निजी शैक्षणिक संस्थानों को कानून के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और अगर उन्हें भी विनियमित नहीं किया जाता है ।

तो यह भेदभाव की राशि होगी । इसके अलावा, निजी शिक्षण संस्थानों ने आमतौर पर अत्यधिक शुल्क लिया और इसलिए गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को बाहर रखा।

अनुच्छेद 21A इस प्रकार निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा । खंड (1) में निर्दिष्ट मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व एक केंद्रीय विधान द्वारा लागू किया जाएगा, जिसके आधार पर विषय पर मौजूदा राज्य विधान को उचित रूप से संशोधित किया जाएगा। चूंकि राज्य केंद्रीय विधान के आधार पर कानूनों का मसौदा तैयार करते हैं, इसलिए आवश्यक रूप से यह पालन किया गया था कि सभी राज्य कानून केंद्रीय कानून के अनुसार हैं ।

अनुच्छेद 45 अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि इसने प्री- विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य डाला। साढ़े चार साल बाद, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 93 वें संशोधन विधेयक (पहले के 83 वें संशोधन विधेयक के रूप में पुन: नंबर) को 28 दिसंबर 2001 को लोकसभा में पारित किया गया और बाद में, राज्यसभा ने इसे मई 2002 में पारित किया। । संवैधानिक संशोधन विधेयक 12 दिसंबर, 2002 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 बन गया। इसके बाद, 86 वें संशोधन अधिनियम के संचालन के लिए केंद्रीय विधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है ।

यह साबित करता है कि आशावाद के लिए आधार हैं । लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। वास्तव में अधिकार का अनुवाद करने की कुंजी दुष्क्रियाशील स्कूलों को कार्यात्मक स्कूलों में बदलने में निहित है । हमें विद्यालय शिक्षा की प्रणाली में पारदर्शिता की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर समुदाय और विशेष रूप से विद्यालय जाने वाले बच्चों के माता-पिता को इसमें शामिल होना चाहिए, सभी स्तरों पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया: नियोजन, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन अंत में, यह सब करने के लिए पर्याप्त बजट प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की आवश्यकता है, ताकि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो सके । इसलिए, प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने में आधारशिला, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की प्रक्रिया में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी है। अकेले एक मजबूत सामाजिक आंदोलन एक वास्तविकता में अधिकार का अनुवाद कर सकता है।

संक्षेप में, देश को अभी तक सार्वभौमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के मायावी लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है 100 प्रतिशत पहुंच, नामांकन,अवधारण और प्राप्ति। लंबे समय से चले आ रहे इस राष्ट्रीय कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर ए। 2001 में सर्वशिक्षा अभियान नामक नया कार्यक्रम। सर्वशिक्षा अभियान, जो देश में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र का चेहरा बदलने का वादा करता है, का लक्ष्य 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है ।

सर्वशिक्षा अभियान विद्यालय प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता को पहचानने और सामुदायिक मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है । यह लिंग और सामाजिक अंतरालों की भी परिकल्पना करता है ।

1.1.0 विद्यालय प्रबंधन समिति:

स्वतंत्रता के बाद से, भारत सरकार और स्टेट सरकारों ने देश में सामाजिक-आर्थिक विकास लाने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में चुना है। तदनुसार, केंद्र सरकार है उस पर उदारतापूर्वक निवेश करना। राज्यों की सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (यूईई) को प्राप्त करने के लिए उपन्यास रणनीतियों के साथ प्रयोग किया है । हालांकि, नामांकन, प्रतिधारण और शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में किए गए निवेश से परिणाम कम नहीं हैं । सामान्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य और विशेष रूप से इसकी गुणवत्ता में सुधार करना, एक चुनौतीपूर्ण चुनौती है । यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारतीय

दुनिया में सबसे अधिक निरक्षर हैं। कई अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि विद्यालय में एक समग्र सुधार प्रभावी सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करता है । वास्तव में, सक्रिय अभिभावक-शिक्षक संपर्क के संदर्भ में सामुदायिक भागीदारी की कमी विद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिए एक गंभीर बाधा है। इसलिए सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने का सबसे चुनौतीपूर्ण आयाम स्कूली शिक्षा में संस्थागत सुधार और सामुदायिक भागीदारी को लागू करना है । इस प्रकार, लोगों की भागीदारी सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के उचित कार्यान्वयन की सफलता के लिए मौलिक है। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य केवल माता-पिता, शिक्षक, समुदाय, सहित सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जा सकता है नागरिक समाज और हम सामुदायिक समर्थन के लिए सामुदायिक समर्थन और प्रभावी रणनीति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। जमीन पर जीवंत आंदोलन के लिए कागज पर कानूनी ढांचे से आरटीई का अनुवाद करना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने और इसे गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करने का निर्णय लिया। शिक्षा अधिनियम -2009।

1.2.0 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना:

1. एक विद्यालय प्रबंधन समिति नियत तारीख के छह महीने के भीतर, हर दो साल में पुनर्गठित की जाएगी।
2. विद्यालय प्रबंधन समिति की शक्ति का 70 प्रतिशत बच्चों के अभिभावकों के माता-पिता में से होगा।
3. समिति की 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।
4. वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन समिति की शक्ति का शेष 25 प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा-

- कम एक बार बैठक करेगी और बैठकों के मिनट और निर्णय ठीक से दर्ज किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

- (ए) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चुने जाने वाले स्थानीय प्राधिकारी के चुने हुए सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य ।
- विद्यालय के शिक्षकों में से एक तिहाई सदस्य, विद्यालय के शिक्षकों द्वारा तय किए जाने वाले; विद्यालय में स्थानीय शिक्षाविदों बच्चों में से एक तिहाई, समिति में माता-पिता द्वारा तय किया जाना है ।
- अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए, विद्यालय प्रबंधन समिति माता- पिता के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी । विद्यालय के हेड टीचर या जहां विद्यालय में एक मृत शिक्षक नहीं है, विद्यालय के सबसे वरिष्ठ शिक्षक 13 होंगे विद्यालय प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य-संयोजक ।
- जहां एक पंचायत में दो या अधिक विद्यालय हैं, पंचायत अध्यक्षविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य में से एक विद्यालय के शेष स्कूलों के वार्ड सदस्य होंगे, जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे ।
- आरटीई 2009 और RTE नियम में परिभाषित के रूप में कमजोर समूह और कमजोर वर्गों से माता-पिता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व 2011 और समय-समय पर। 50% महिलाएं होनी चाहिए यानी 10 महिलाएं होनी चाहिए।
- सामान्य तौर पर, बीस सदस्यों में से, माता-पिता 75% होने चाहिए, बीस सदस्यों में से, 10 सदस्य महिलाएं (50%)

1.2.1 विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य

(A) विद्यालय प्रबंधन समिति ए। मॉनिटर के बाद निम्नलिखित कार्य करेगी-

(i) विद्यालय के शिक्षकों द्वारा उपस्थिति में नियमितता और समय की पाबंदी सुनिश्चित करें ।

(ii) प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करें और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त निर्देशों को पूरक करें ।

(iii) विद्यालय के पड़ोस से सभी बच्चों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(iv) स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण के पास बच्चे के अधिकारों से कोई विचलन, प्रवेश के बच्चों के विशेष मानसिक प्यू फिजियोथेरेपमेंट और नि: शुल्क एंटाइटेलमेंट के समय पर प्रावधान का ध्यान रखें ।

(v) पड़ोस में विद्यालय की आबादी के लिए सरल और रचनात्मक तरीके से संवाद करें, अधिनियम में निर्दिष्ट बच्चे के अधिकारों के साथ-साथ उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, विद्यालय, माता-पिता और प्रतिनिधित्व 2011 और समय-समय पर से संवाद करें ।

(B) **विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) की तैयारी, सिफारिश,कार्यान्वयन और निगरानी**:

i. धारा 21 की उपधारा (1) के तहत गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति हर साल इस तरह से एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी जैसा कि मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है ।

ii. विद्यालय प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी जिसमें यह अधिनियम के तहत पहली बार गठित किया गया है ।

iii. मॉनिटर करें कि शिक्षकों को धारा 27 में निर्दिष्ट के अलावा अन्य गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों पर बोझ नहीं है। कोई भी शिक्षक स्थानीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या स्थानीय चुनावों से संबंधित कर्तव्यों के अलावा किसी भी गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण या राज्य विधायिका या संसद, जैसा भी मामला हो ।

iv. आरटीई अधिनियम 2009 की वित्तीय आवश्यकता और जरूरतों का आकलन करें, जिसमें खंड 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना शामिल है । नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म जैसे बच्चों की प्रविष्टियाँ, और अधिनियम के तहत विद्यालय की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त आवश्यकता ।

v. विद्यालय विकास योजना को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और विद्यालय प्रबंधन समिति के संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और वित्तीय वर्ष के अंत से पहले स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह तैयार किया गया है ।

vi. प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी 18 के लिए सह-चयनित सदस्यों के साथ उप समितियां और उप-ग्रूप विद्यालय विकास योजना का निर्माण एसएमसी द्वारा माता-पिता के साथ अधिमानतः अनुरोध /आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है । एचएम, शिक्षक, बच्चे, शिक्षाविद्, BRTES, स्थानीय इंजीनियर, निर्वाचित प्रतिनिधि, विद्यालय का समर्थन करने वाले सिविल सोसायटी के सदस्य ।

उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का एक वार्षिक खाता तैयार करें। इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त कोई भी धनराशि, वार्षिक लेखा-परीक्षण के लिए अलग खाते में रखी जाएगी । वार्षिक खाते पर चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन और उक्त समिति के संयोजक के हस्ताक्षर होने चाहिए और उनकी तैयारी के एक महीने के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराना चाहिए। अन्य कार्यों का प्रदर्शन विद्यालय प्रबंधन समिति समय-समय पर आदेश के अनुसार ऐसी भूमिकाएँ और कार्य निभाएगी ।

1.3.1 एसएमसी सदस्यों की भूमिका: RTE-2009 के अनुसार SSA के तहत भारत सरकार ने विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के लिए कुछ प्रावधान किए हैं और उनकी भूमिका या कार्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं:

- विद्यालय के कामकाज की निगरानी करना
- विद्यालय विकास योजना की तैयारी, सिफारिश, कार्यान्वयन और निगरानी (एसडीपी)
- उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी ।

1.4.0 अध्ययन की आवश्यकता और महत्व:

RTE 2009 के तहत 6-11 वर्षों के लिए समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है ।

प्राथमिक शिक्षा के लिए आयाम और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों ने स्कूलों के कामकाज को बढ़ाने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 21 के अनुसार एसएमसी का गठन किया है । माता-पिता और बच्चे एक शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक हितधारक हैं और इन समितियों में माता-पिता या अभिभावकों की भागीदारी को मुख्य महत्व दिया गया है । ताकि विद्यालय के प्रबंधन का उचित तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। माता-पिता SMC का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हालांकि, यह तथ्य कि इन सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश छात्रों के माता-पिता निम्न-सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित हैं । इसलिए एसएमसी के सदस्यों द्वारा उनकी जो जिम्मेदारी है उनको निर्वाहन किया जाता है और छात्रों की उपस्थिति बड़ाने और नामांकन करने के साथ विद्यालय भवन के भौतिक संसधनों का उपलब्धता कराना है ।

इसलिए एसएमसी के सदस्यों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनकी प्रभवशीलता को जांच करना एवं एसएमसी के सदस्यों द्वारा उसमे बदलाव लाने की कोशिश करना है , ताकि का विकास होते रहे ।

1.5.0 समस्या का विवरण:

"प्राथमिक विद्यालय चिकलीकला पर विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता का अध्ययन "

1.6.0 परिभाषा और शब्दों की व्याख्या:

1.6.1 विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य :

विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य: एक विद्यालय प्रबंधन समिति अपनी बुनियादी ढाँचे की जरूरतों, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमों को पूरा करने और बेहतर सीखने के माहौल को सुनिश्चित करके, विद्यालय के समुचित और सुचारू कामकाज को प्राप्त करने की दिशा में काम करती है । बच्चों के लिए एक विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) सरकारी अधिकारियों के साथ तैयार और साझा की जाती है। आरटीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक एसएमसी एक 12 सदस्य समिति है जिसमें माता-पिता और समुदाय शामिल हैं ।

विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का प्रसार एक बैठक में किया जाता है जो विद्यालय परिसर में आयोजित की जाती है और विद्यालय में नामांकित बच्चों और अन्य ग्रामीणों के सभी माता-पिता एक " बैथक " (एक साधारण सभा) आयोजित करते हैं, इसे आम सभा कहा जाता है (सामान्य) मुलाकात)। इस समूह के बीच के इच्छुक लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए आवेदन करते हैं । मतदान होता है और सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति समिति का अध्यक्ष बनता है ।

माता-पिता का चालान तीन प्रकार का हो सकता है: माता-पिता शिक्षक के रूप में । माता-पिता, भागीदार के रूप में और माता-पिता निर्णय लेने वाले के रूप में। आरटीई अधिनियम निर्णय लेने के लिए माता-पिता को शामिल करता है- शिक्षकों और प्रिंसिपल को शिक्षा वितरण के लिए अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से, जो बारी-बारी से होगा। छात्रों के बेहतर परिणामों की ओर ले जाएं । यदि माता-पिता विद्यालय में निर्णय लेने वाले के रूप में सक्रिय रूप से शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें शिक्षकों के रूप में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यह छात्रों के सीखने के परिणामों को और बढ़ाएगा ।

1.6.2 एसएमसी सदस्यों की भूमिका:

RTE-2009 के अनुसार SSA के तहत भारत सरकार ने विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के लिए कुछ प्रावधान किए हैं और उनकी भूमिका या कार्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं:

- विद्यालय विकास योजना (SDP) की तैयारी, सिफारिश, कार्यान्वयन और निगरानी के कार्य की निगरानी करना
- उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी

1.7.0 अध्ययन के उद्देश्य:

1. चिखली कलाँ के बच्चो का नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच करना
2. मध्यान भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने में विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों की जांच करना
3. 3.भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करना

1.8.0 अध्ययन के लिए शोध प्रश्न

1. चिखली कलाँ के बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गये ?
2. मध्यान भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति किस तरह से कार्य करती है ?
3. भौतिक संसाधन की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति किस प्रकार के कदम उठाए गए ?